ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

बनाम

प्रेमलता शुक्ला एवं अन्य

15 मई, 2007

(एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-

धारा 166- दो वाहनों के बीच टक्कर जिस वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसका पता नहीं चल सका-उस वाहन के चालक, मालिक और बीमाकर्ता के खिलाफ दावा याचिका दायर की गई जिस पर मृतक यात्रा कर रहा था। निर्णित वाहन के चालक की ओर से उपेक्षा और लापरवाही का प्रमाण धारा 166 के तहत एक आवेदन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है- दुर्घटना का तथ्य एफ.आई.आर. से भी साबित किया जा सकता है। किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता पर आपत्ति करने वाले पक्ष को उचित समय पर अपनी आपत्ति उठानी चाहिए। एक बार दस्तावेज़ को सहमति से प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने दावा याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया।

साक्ष्य- एक प्रदर्शित दस्तावेज़ का साक्ष्य में मूल्य।

एक ट्रक और एक टैम्पो-ट्रैक्स के बीच टक्कर के परिणामस्वरूप एक दुर्घटना में, टैम्पो-ट्रैक्स में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो

गई। ट्रक के चालक के खिलाफ 304 ए आईपीसी के तहत दर्ज मामला बंद कर दिया गया था, क्योंकि ट्रक का पता नहीं चल सका था। टैम्पो-ट्रैक्स के चालक, मालिक और बीमाकर्ता के खिलाफ दायर दावा याचिका को मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था। न्यायाधिकरण ने माना कि टैम्पो-ट्रैक्स का चालक वाहन को उपेक्षा और लापरवाही से नहीं चला रहा था। अपील में उच्च न्यायालय ने राय दी कि टैम्पो-ट्रैक्स के चालक को उपेक्षा और लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया जाना चाहिए।

बीमा कम्पनी द्वारा दायर हस्तगत अपील में अपीलार्थी ओर से यह तर्क दिया गया था कि चूंकि प्रत्यर्थी स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं तो उच्च न्यायालय इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। प्रत्यर्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि केवल इसलिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दुर्घटना को साबित करने के उद्देश्य से विश्वास किया गया था और न कि वाहन के चालक की ओर से दायित्व तय करने के लिए, स्वतः ही तथ्यों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

अपील स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारित; 1.1. प्रत्यर्थी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 धारा 166 के तहत एक आवेदन दायर किया। इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इसका निर्धारण किया जाना आवश्यक था। इसलिए, अधिनियम

की धारा 166 के तहत एक आवेदन बनाए रखने के लिए वाहन के चालक की ओर से उपेक्षा और लापरवाही का प्रमाण अनिवार्य है। {पैरा 8 और 10,} {784-ए, जी}

दीपल गिरीशभाई सोनी और अन्य बनाम वी. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बड़ौदा (2004), 5 एस.सी.सी. 385 और कोश्नुमा बेगम और अन्य बनाम नया भारत आश्वासन, (2001) एसीजे 428: {2001} 2 एससीसी 9, का संदर्भ लिया गया।

1.2. यह सही है कि दस्तावेज़ की सामग्री स्वचालित रूप से साबित नहीं होती है केवल इसलिए कि इसे एक प्रदर्श के रूप में चिन्हित किया गया है। हालाँकि, दुर्घटना के तथ्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी साबित किया जा सकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक बार जब दस्तावेज की सामग्री का एक भाग साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे रिकॉर्ड पर लाने वाले पक्ष को इस आधार पर पलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इसके शेष भाग में निहित अन्य तथ्य साबित नहीं हुए थे। इसे एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया था, क्योंकि दोनों पक्षों का उन पर विश्वास करने का आशय था। एक बार जब दोनों पक्षों द्वारा इसके एक हिस्से पर विश्वास किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण ने दूसरे हिस्से पर विश्वास करने में कोई अवैधता की है। चाहे दस्तावेज़ के तथ्य साबित हुये हो या नहीं, यदि तथ्य

साबित हो गये हैं, तो उसके एक हिस्से पर विश्वास करने का सवाल उठेगा, न कि बाकी पर कि तकनीकी आधार पर वह कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ था। {पैरा 12, 13 और 14}{ 785-ए, बी, सी, डी}

1.3. किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताने वाले पक्ष को अपनी आपत्ति उचित समय पर उठानी चाहिए। यदि आपत्ति नहीं उठाई जाती है और दस्तावेज़ को चिह्नित करने की अनुमति दी जाती है और वह भी एक पक्ष के कहने पर जिसने इसे साबित किया था और जिसके लिए दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त की गई है, तो पूर्व को पलटने और यह तर्क उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि दस्तावेजों के तथ्य साबित नहीं हुए है और इसलिए, इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अतः मामले के इस दृष्टिकोण में, आलोच्य निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया गया। {पैरा 15 और 16}, { 785 - ईः 786-सी}

हुकुम सिंह और अन्य बनाम श्रीमती उधम कौर, (1969) पी.एल.आर. 908, पर विश्वास किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2526/2007

जबलपुर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2005, आदेश से एम.ए. सं. 993/2002

अपीलार्थी की ओर से; श्री एम.के. दुआ व किशोर रावत।

प्रत्यर्थीगण की ओर से; वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.सी. अग्रवाल, श्री एम.पी. सिंह और डॉ. विपिन गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. के द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. मृतक शिवनंदन प्रसाद शुक्ला भोपाल से इलाहाबाद जाने के लिए एक टेंपो-ट्रैक्स में यात्रा कर रहे थे। यह एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक का पंजीकरण नम्बर नजर नहीं आया। ट्रक का भी पता नहीं चल सका है। टैम्पो-ट्रैक्स की सवारी में से एक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत अपराध घटित करने के लिए उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर उक्त ट्रक के चालक के विरूद्घ भारतीय दण्ड संहिता का अपराध दर्ज किया गया। चूंकि जाँच के दौरान ट्रक का पता नहीं चल सका था, इसलिए मामला बंद कर दिया गया था। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष चालक मालिक और बीमा कम्पनी, जिसके साथ टैम्पो-ट्रैक्स का बीमा किया गया था, के खिलाफ एक दावा याचिका दायर की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का विश्लेषण करने पर न्यायाधिकरण इस तथ्य के निष्कर्ष पर पहुँचा कि टेंपो-ट्रैक्स का वाहन

चालक वाहन को तेजी और लापरवाही से नहीं चला रहा था, इसलिए इसने दावा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया-

> ''16. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक तनकी संख्या-01 में चर्चा के आधार पर यह साबित करने में विफल रहे हैं कि दुर्घटना तारीख 23 जनवरी, 2001 की थी, टैम्पो-ट्रैक्स क्रमांक एम.पी.-04-एच-5525 को तेज गति और लापरवाही से चलाने के कारण हुआ। इन परिस्थितियों में टैम्पो-ट्रैक्स क्रमांक एम.पी.-04-एच-5525 के चालक एवं बीमा कम्पनी को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप, वर्तमान दावा याचिका खारिज की जाती है।''

3. न्यायालय ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में कौश्नुमा बेगम व अन्य बनाम न्यू इण्डिया एश्योरेंस [2001 ए.सी.जे. 428 (2001) 2 एस.सी.सी. 9], जिस पर दोनों पक्षों ने भरोसा किया था, उसे संदर्भित किया गया था। जहाँ यह निर्णित किया-

> ''18. किसी भी अन्य सामान्य कानून सिद्धांत की तरह, जो हमारे न्याय प्रणाली को स्वीकार्य है, राइलैंड्स बनाम फ्लेचर, {1861-73} ए.ई.आर. 1 में नियम का पालन कम से कम तब तक किया जा सकता है, जब तक कि कोई

अन्य नया सिद्घान्त जो पूर्व से बेहतर हो, विकसित नहीं किया जा सकता है या जब तक कानून अलग प्रावधान नहीं करता है। इसलिए हम मोटर दुर्घटनाओं के संबंध में किए गए मुआवजे के दावों में नियम को अपनाने के लिए बाध्य हैं।

19. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 में परिकलित 'नो फ़ाल्ट लायबिलिटी ' सख्त दायित्व के नियम से अलग है। पहले में मुआवजे की राशि तय होती है और देय होती है, भले ही नियम में कोई भी अपवाद लागू किया जा सकता हो। यह एक वैधानिक दायित्व है, जिसके बिना दावेदार को उस गणना के तहत कोई राशि नहीं मिलनी चाहिए। मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना के कारण मुआवजे का दावा किसी कानून की सहायता के बिना भी सामान्य कानून के तहत किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान अनुमति देते हैं कि 'नो फ़ाल्ट लायबिलिटी ' के तहत भुगतान किए गए मुआवजे को न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अन्तिम राशि से काटा जा सकता है। इसलिए, ये दोनों दो अलग-अलग परिसरों में आराम कर रहे है। इसलिए, हमारी राय है कि अलग भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140, मोटर वाहन का उपयोग करते समय हुई दुर्घटना में पीडित न्यायाधिकरण से

मुआवजा पाने का हकदार है, जब तक कि कोई भी अपवाद लागू न हो। इसलिए, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने दावेदारों को देय मुआवजे से वंचित करने में गलती की है।"

4. उक्त पंचाट से व्यथित और असंतुष्ट दावेदारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय मुख्यतः श्री आर.के. शर्मा और श्रीमती प्रेमलता शुक्ला के साक्ष्य पर निर्भर है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टैम्पो-ट्रैक्स को तेजी से और लापरवाही से चला रहा था, ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कानूनी रूप से साबित नहीं हुई है, टैम्पो-ट्रैक्स के चालक को तेजी और लापरवाही से गाडी चलाने का दोषी माना जाना चाहिए।

5. गौरतलब है कि दावा याचिका में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का हवाला दिया गया था।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रत्यर्थीगण ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट पर भरोसा किया था, इसलिए उच्च न्यायालय इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इस संबंध में हुकम सिंह व अन्य बनाम श्रीमती उधम कौर [1969 पी.एल.आर. 908] पर विश्वास किया गया है।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि दुर्घटना को साबित करने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट पर भरोसा किया गया था, उसके तथ्य को स्वतः ही साबित नहीं माना जा सकता है। उक्त तर्क के समर्थन में, नर्बदा देवी बनाम वीरेन्द्र कुमार जयसवाल व अन्य [(2003) 8 एस.सी.सी. 745] का संदर्भ दिया गया है।

8. यह ज्ञात नहीं है कि केन्द्र सरकार ने हिट एण्ड रन मामलों के संबंध में अभी तक कोई नीति बनाई है या नहीं। हांलाकि, इस मामले में संबद्घ नहीं है। प्रत्यर्थी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत एक आवेदन दायर किया था। इसे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारित किया जाना आवश्यक था। हांलाकि, इस विचार पर दीपल गिरिश भाई सोनी व अन्य बनाम यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बडौदा (2004) 5 एस.सी.सी. 385 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिसमें यह देखा गया-

> ''विधि आयोग ने इसके अलावा एक योजना बनाने की सिफारिश की है, जहाँ 'हिट एंड रन दुर्घटना' के पीडित मुआवजे का दावा कर सकते हैं, जहाँ दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान अज्ञात थी। फिर भी, 199 वें विधि आयोग

ने अपनी रिपोर्ट में 1987 में प्रस्तुत किए गए कानून में निम्नलिखित शब्दों में कहा गया हैः

''जैसा कि कानून विद्यमान है, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा दिए गए अध्याय VIIA में प्रावधानों को छोडकर, पीडित या पीडित के आश्रितों को सक्षम बनाता है, कि उत्तरदायी व्यक्ति की गलती के प्रमाण पर मृत्यु की स्थिति में मुआवजा देने के लिए मुआवजा वसूल किया जाएगा।"

9. जहां वाहन चालक द्वारा तेज गति और लापरवाही से गाडी चलाने के कारण कोई दुर्घटना होती है, जिसके परिणामस्वरूप किसी तीसरे पक्ष को चोट लगती है या मृत्यु हो जाती है, तो चालक इसके लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम के अनुसार वाहन का मालिक भी 1988 अधिनियम के तहत उत्तरदायी हो जाता है। यदि वाहन का बीमा किया गया है, जो किसी तीसरे पक्ष के मामले में, अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए, अनिवार्य है, तो बीमा कम्पनी वैधानिक रूप से मालिक को क्षतिपूर्ति देने के लिये बाध्य होगी।

10. हांलाकि, बीमाकर्ता अधिनियम या बीमा अनुबंध में निर्धारित अपनी देयता की सीमा के अधीन, मालिक द्वारा दावेदारों को देय क्षति की

सीमा तक बीमाधारक को परिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिये वाहन के चालक की ओर से लापरवाही और उतावलेपन का प्रमाण, अधिनियम की धारा 166 के तहत एक आवेदन को बनाए रखने के लिये अनिवार्य है।

11. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्घटना को साबित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड पर लाई गई थी, न कि इसमें शामिल वाहन के चालक की ओर से दायित्व तय करने के लिए।

12. नर्बदा देवी (पूर्वोक्त) में जिस पर भरोसा किया गया है, इस न्यायालय ने माना कि किसी दस्तावेज की सामग्री केवल इसलिए स्वचालित रूप से साबित नहीं होती है क्योंकि उसे एक प्रदर्श के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त कानूनी प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

13. हांलाकि, दुर्घटना का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी साबित किया जा सकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक बार जब दस्तावेज की सामग्री का एक हिस्सा साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे रिकॉर्ड पर लाने वाले पक्ष को पलटने और यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसके बाकी हिस्से में निहित अन्य तथ्य साबित नहीं हुए हैं। दोनों पक्षकारों ने उसी पर भरोसा किया है, इसे

एक प्रदर्श के रूप में चिन्हित किया गया था क्योंकि दोनों पक्ष उन पर भरोसा करना चाहते थे।

14. एक बार जब इसके एक हिस्से पर दोनों पक्षों द्वारा विश्वास कर लिया जाता है तो विद्वान न्यायाधिकरण के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने दूसरे हिस्से पर विश्वास करके कोई अवैधता की है, भले ही दस्तावेज के तथ्य साबित हुए हो या नहीं। यदि तथ्य साबित हो गए हैं, तो उसके केवल एक हिस्से पर निर्भरता बाकी पर नहीं, का सवाल ही नहीं उठता, इस तकनीकी आधार पर कि यह कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ है, सवाल ही नहीं उठता।

15. किसी दस्तावेज की स्वीकार्यता पर आपत्ति करने वाले पक्ष को उचित समय पर अपनी आपत्ति उठानी होगी। यदि आपत्ति नहीं उठाई गई है और दस्तावेज को चिन्हित करने की अनुमति दी गई है और वह भी उस पक्ष के कहने पर जिसने इसे साबित किया है और जिसके लिए दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त की गई है, तो हमारी राय में पूर्व को पलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह तर्क उठाएं कि दस्तावेजों के तथ्य साबित नहीं हुए हैं और इस प्रकार, उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। हुकम सिंह (पूर्वोक्त) में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कानून को सही ढंग से निर्धारित किया गया था।

''8. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री जी.सी. मित्तल ने तर्क दिया कि रामप्रताप ने केवल अपनी पूर्व गवाही पेश की थी और अदालत में कोई सबूत नहीं दिया था जिस पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा विचार किया जा सके। मुझे डर है कि इस विवाद में कोई दम नहीं है, विचारण न्यायालय ने राम प्रताप के साक्ष्य पर उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एक्जिबिट डी-1 के आलोक में चर्चा की थी। अपील पर सुनवाई करते समय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उस साक्ष्य पर टिप्पणी कर सकते थे और इसे अस्वीकार्य मान सकते थे यदि कानून अनुमति देता। लेकिन उनके दिमाग के सामने ये सबूत बिल्कुल भी नहीं था, यह अस्वीकार्य साक्ष्य का मामला भी नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही में दिए गए राम प्रताप के पिछले बयान की प्रमाणित प्रति देने और उसे राम प्रताप द्वारा स्वयं साबित करने की अनुमति देने में विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं थी और इस संबंध में उनसे दोबारा जांच की जानी चाहिए थी। बयान में उन्होंने पहले जो कुछ कहा था, समय बचाने के लिए पक्षकारों ने पिछली गवाही को रामप्रताप द्वारा स्वंय साबित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसकी केवल जिरह की गई

थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां पक्षकारों की सहमति से अप्रासंगिक साक्ष्य दिए गए हों, लेकिन एक मात्र आपत्ति यह है कि अदालत में साक्ष्य देने के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं थी। जब पक्षकारों ने स्वंय कुछ बयानों को अपने साक्ष्य के एक भाग के रूप में अभिलेख पर रखने की अनुमति दी है, उनके लिए बाद में उसी न्यायालय में या अपील अदालत में यह आग्रह करना उचित नहीं है कि प्रस्तुत साक्ष्य अस्वीकार्य थी। उन्हें ऐसा करने की अनुमति देना वास्तव में उन दोनों को उचित और आक्षेप करने की अनुमति देनी होगा।''

16. उपरोक्त कारणों से, आलोच्य निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। अपील स्वीकार की जाती है, हांलाकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

आर.पी. अपील स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी डॉ. रेनू श्रीवास्तव (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।